बिहार को 'विशेष राज्य' का दर्जा देने से इनकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में **केंद्र** ने सर्वदलीय बैठक के दौरान **बिहार के लिये** 'विशेष श्रेणी' का दर्जा देने के अनुरोध को **खारिज कर दिया।**

प्रमुख बिंदु:

- वर्तमान में किसी भी नए राज्य को 'विशेष श्रेणी' का दर्जा नहीं दिया जा रहा है, क्योंकि भारतीय संविधान में इस तरह के वर्गीकरण की व्यवस्था नहीं है।
  - **बिहार विशेष राज्य का दर्जा और अलग वित्तीय पैकेज दोनों की मांग कर रहा है।** बिहार के लिये विशेष दर्जे की मांग तब से जारी है जब राज्य का विभाजन बिहार तथा झारखंड में हुआ था।
- गाडगिल फार्मूला:
  - विशेष श्रेणी के दर्जे के मुद्दे पर **पहली बार वर्ष 1969 में राष्ट्रीय विकास परिषद (National Development Council- NDC) की बैठक में चर्चा की गई थी।** इस सत्र के दौरान, D.R. गाडगिल समिति ने भारत में **राज्य योजनाओं के लिये केंद्रीय सहायता वितरित करने का एक सूत्र प्रस्तावित** किया था
    - **इससे पहले,** निधि आवंटन के लिये **कोई विशिष्ट फार्मूला नहीं था** और अनुदान व्यक्तिगत योजनाओं के आधार पर आवंटित किया जाता था।
  - गाडगिल फार्मूले, जिसे NDC की मंज़ूरी मिली थी, ने केंद्रीय सहायता के आवंटन में असम, जम्मू-कश्मीर और नगालैंड जैसे **विशेष श्रेणी के राज्यों की ज़रूरतों को प्राथमिकता दी।**
  - वर्ष 1969 में पाँचवें वित्त आयोग ने कुछ क्षेत्रों के समक्ष मौजूद ऐतिहासिक चुनौतियों को स्वीकार किया और **विशेष श्रेणी का दर्जा प्रदान किया**
    - इस **सुझाव से विशिष्ट वंचित राज्यों को** केंद्रीय सहायता और कर राहत सहित विशेष लाभ प्राप्त हुए
    - इसके बाद राष्ट्रीय विकास परिषद ने इस स्थिति के आधार पर इन राज्यों को केंद्रीय योजना सहायता आवंटित की।
  - **वित्तीय वर्ष 2014-2015** तक **विशेष श्रेणी का दर्जा प्राप्त 11 राज्यों को** विभिन्न लाभ और प्रोत्साहन प्राप्त थे।
    - हालाँकि **वर्ष 2015 में** योजना आयोग **के विघटन** और नीति आयोग **की स्थापना** के साथ 14वें वित्त आयोग की सिफारिशों के परिणामस्वरूप गाडगिल फार्मूले पर आधारित अनुदान बंद हो गए।
    - परिणामस्वरूप, **सभी राज्यों को आवंटित विभाज्य पूल का हिस्सा 32% से बढ़ाकर 42%** कर दिया गया।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/bihar-s-special-category-status-denied